

हिंदुस्तान जिंक लि. द्वारा 3613.63 करोड़ रुपये

की राँयल्टी चोरी का मामला!!

भाग-2

एसडीआरआई की मेहनत पानी में!!!!

खान विभाग नहीं वसूल कर पा रहा चवन्नी भी!!!

राँयल्टी वसूली के लिए गठित कमिटी कर रही

जाँच के नाम पर कंपनी के प्लांट की इंडस्ट्रियल विजिट!!!

जिले के बाबुओं से लेकर विभाग के मंत्री और

मुख्यमंत्री तक को मामले की जानकारी,

लेकिन कार्यवाही के नाम पर चल रही कागजी खानापूर्ति!!!!

SDRI unearths royalty evasion of ₹2,500 crore by mining firm

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: The State Directorate of Revenue Intelligence has claimed to have unearthed a royalty evasion of Rs 2,500 crore from Hindustan Zinc Limited (HZL), the largest mining company in the state.

Following an investigation, the SDRI intimated about it to the state mining department which has now given a notice to the company.

According to SDRI sources, HZL is operating five mines in Rampura, Aguncha Bhilwara), Sindesar Churd, Rajpura Dariba (Rajamand), Jawar (Udaipur) and Kayad (Ajmer) for the exploration of lead-zinc in

the state. In addition to lead-zinc, silver and cadmium are also obtained as a by-product.

“Under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, the company involved in mining has to declare the minerals and by-products derived from quarrying to the Central Government Department of Mines Bureau and the State Government Department of Mines and Geology,” said an officer of SDRI on condition of anonymity on Monday.

SDRI in its detailed investigation found that the exact quantity of silver and cadmium received by the company as a by-product for the past several years was not reported by HZL to the

state government. Officials added that the production data of HZL from the year 2012-13 to 2017-18 had non-uniformity. “The production data of the company that was sent to Indian Bureau of Mines (IBM) of the central government and to state government’s mines and geology department lacked uniformity. With documentary evidences we found that the data was being manipulated by the company. Based on our investigation, the additional director of mines (vigilance) has sent a notice to HZL on May 20. The company is supposed to pay the royalty within 30 days of receiving the notice,” Sanjiv Singh, director general, SDRI told TOI on Monday.

Notice to Vedanta for alleged royalty theft

Kashiram Choudhary



Jaipur: The premier zinc mining and manufacturing company of India - Hindustan Zinc Limited aka Vedanta has allegedly indulged in royalty theft from state government. In past five years, the company mined cadmium along with zinc, and it is alleged that the information of this mining was not given to state government. The mining department has been given a report in this regard by State Directorate of Revenue Intelligence claiming misrepresentation in statistic and on the basis of report, mining department has issued a notice to the company of recovery of Rs 2,500 crore.

The SDRI has registered a preliminary investigation report against Vedanta and handed the report of alleged royalty theft

of Rs 2,500 crore to mining department. Based on this report, a recovery notice has been issued to Vedanta, which is the biggest lead and zinc mining company in Rajasthan.

As per MMDR Act 1957, mining company has to inform Indian Bureau of Mining of Central government and mining and geology department of state government about minerals and by products mined in any state. SDRI conducted a suo-moto investigation wherein it was alleged that for past several years, company records do not show right quantity of by-products - silver and cadmium-which has allegedly caused a royalty loss of Rs 2,500 crore to state. SDRI studied production details of Hindustan Zinc Limited from 2012-17 and then studied statistics of IBM and mining and geology department of state govt when data was, allegedly, not found to be corresponding. It was claimed that Vedanta has misrepresented quantity of silver: IBM was told more production while mining department was told of lesser and it is alleged that company hid information about mining 3.65 lakh kg of silver which has resulted in the alleged exchequer loss to government. Thus mining department has served a 30 day notice to company asking for right information about royalty, failing which the recovery will be done.

समाचार पत्रों में प्रकाशित 2500 करोड़ और 1113 करोड़ के राजस्व चोरी के मामले

First India

2ND FRONT

08

JAIPUR | TUESDAY, JULY 13, 2021

RAIDS AT HINDUSTAN ZINC LIMITED

SDRI UNEARTHES ₹1,113 CR REVENUE THEFT FROM HZL!


Vimal Kothari

Udaipur: In what could be termed as a major action taken by the SDRI on Monday, a revenue theft of whopping Rs 1,113 crore was unearthed at the Hindustan Zinc Limited. The company’s sites at Bhilwara, Rajsamand, Udaipur and Ajmer districts were raided, where the issue pertaining to embezzlement in royalty payment came to light.

State Directorate of Revenue Intelligence has registered a major success in detecting royalty evasion by the state’s biggest mining company Hindustan Zinc Limited, which is the largest producer of lead and zinc in the state. As per the MMDR Act, 1957 a mining company has to declare the amount of mineral and its by-products extracted to Indian Bureau of Mines (IBM) of the

and Department of Mines and Geology (DMGR) of the State Government.

A suo-moto investigation by SDRI under the supervision of Director General of SDRI, Anand Swaroop, was initiated and a case has been registered after extensive in-house data analytics, which shows that for the last few years, this company has not been reporting the actual amount of lead and zinc extracted from



the mines. This has resulted in the revenue loss of Rs. 1,113 crore. SDRI teams compared the data provided by Hindustan Zinc Limited to IBM and DGMR and also that data which the company wilfully declared in its own annual reports.” Notably, the data from the years 2013-14 to 2018-19 was checked by the SDRI.

After analysis it was found that there was no uniformity in the provided data and “on ana-

lysing the difference of the three declared amounts of lead and zinc produced, it was found that the company has declared less production in DGMR than what it has declared in the IBM.”

It is evident that the state government collects royalty on the amount of mineral declared by the company. The audit and analysis wing conducted a thorough analysis of the available data and de-

TECTED this misrepresentation of data by the company. Meanwhile, a detailed report of this case has been sent to Department of Mines and Geology (DMGR) for further action.

Notably, highly placed sources reveal that the data from 2018-19 onwards is yet to be investigated. Now the state Mining Department will have to be quick on its feet and start a bid to realise the lost revenue.

हिंदुस्तान जिंक को 2500 करोड़ का नोटिस



जयपुर. राजस्थान के खान एवं भू-खनन विभाग ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को खनिज चाँदी की रॉयल्टी अवधि के लिए 2500 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस जारी किया है। विभाग में नोडल अधिकारी (खान) ऑपरिंग निदेशक (सालकी) दीपक तंवर ने हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदयपुर को 30 दिन का वसूली नोटिस दिया है। इस अवधि में कंपनी को और से गत दस वर्षों की घोषित चाँदी पर दी गई रॉयल्टी को सही सूचना खान विभाग को प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में 2500 करोड़ रुपए की मांग कर वसूली की जाएगी। एसडीआरआई में दर्ज प्रकरण में की गई विस्तृत जांच में पता चला है कि कंपनी पिछले कई सालों से उपउत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाले चाँदी एवं केडमियम की सही मात्रा राज्य सरकार को सूचित नहीं कर रही थी।

एसडीआरआई ने पकड़ी चोरी, खान विभाग को वसूली के आदेश हिंदुस्तान जिंक को रॉयल्टी केस में 2500 करोड़ रु. वसूली का नोटिस

भास्कर न्यूज | जयपुर

प्रदेश की सबसे बड़ी लेड और जिंक की खननकर्ता कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर बड़ा हजार करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली गई है। रॉयल्टी चोरी प्रकरण से जुड़े मामले में एसडीआरआई ने खान विभाग को इसकी वसूली के आदेश दिए हैं। इसके बाद खान विभाग ने हिंदुस्तान जिंक को ये पैसे जमा करने का नोटिस जारी कर दिया है। हिंदुस्तान जिंक कंपनी राज्य सरकार को उप उपउत्पाद (बाई प्रोडक्ट) के रूप में प्राप्त होने वाली चाँदी एवं केडमियम की सही मात्रा नहीं बजा रही थी, जिनमें राज्य सरकार को 2012-13 से 2017-18 तक ही राज्य सरकार को

से 2017-18 तक ही राज्य सरकार को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चाँदी के 3,64,510 किलोग्राम उत्पादन की कम घोषणा की गई है। इसका कुल मूल्य लगभग 2500 करोड़ रुपए होता है। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक कम प्रपत की गई रॉयल्टी के वसूली हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदयपुर को 30 दिवस का वसूली नोटिस जारी किया गया है। 30 दिवस में कंपनी द्वारा गत 10 वर्षों की घोषित चाँदी पर दी गई रॉयल्टी को सही सूचना खान विभाग को प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में 2500 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी।

क्या है चाँदी की रॉयल्टी राशि 2500 करोड़ का मामला?

राजस्थान में कर चोरी के मामलों का पता लगाने वाली जांच एजेंसी एसडीआरआई द्वारा वर्ष 2020 में की गयी विस्तृत जांच के अनुसार बताया गया कि राज्य में खनिज लेड एवं जिंक के खनन हेतु मै० हिंदुस्तान जिंक लि. के पक्ष में जिला भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद व अजमेर में क्रमशः रामपुरा-आगुचा, सिदेसरखुर्द, जावर, राजपुरा-दरीबा एवं कायद में खनन पट्टे स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें से उत्पादित खनिज लेड एवं जिंक का शुद्धिकरण इन खनन क्षेत्रों के नजदीक ग्राम चंदेरिया दरीबा एवं देवारी में स्थापित स्मेल्टिंग प्लांट में किया जाता है। उक्त स्मेल्टरों से लेड एवं जिंक के अतिरिक्त उप-उत्पाद के रूप में चाँदी, केडमियम एवं सल्फ्यूरिक एसिड भी प्राप्त होता है। मै० हिंदुस्तान जिंक लि. द्वारा उक्त उत्पादित धातुओं के साथ उप उत्पाद चाँदी एवं केडमियम की मात्रा की सूचना खान विभाग एवं भारतीय खान ब्यूरो को रिटर्न के माध्यम से प्रेषित की जाती है। उक्त सूचना का प्रकाशन खान विभाग, उदयपुर एवं भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा क्रमशः उनकी वेबसाइट एवं वार्षिक पुस्तिका में किया जाता है। एसडीआरआई द्वारा वर्ष 2012-13 से 2017-18 की अवधि में खान विभाग की वेबसाइट एवं भारतीय खान ब्यूरो की वार्षिक पुस्तिका में दर्शाये गए उक्त उप उत्पाद चाँदी और केडमियम के आंकड़ों में अंतर पाया। जांच के अनुसार कंपनी द्वारा विभाग को चाँदी की कम और केडमियम की अधिक रॉयल्टी का भुगतान किया गया है। इस प्रकार कंपनी द्वारा 2537 करोड़ की रॉयल्टी की चोरी की गयी।

एसडीआरआई की इस जांच पर खान विभाग द्वारा मई 2020 से अब तक कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसी बीच कंपनी द्वारा जवाब भी दिया गया कि चाँदी उत्पादन के साथ आयात खनिज से भी चाँदी उत्पादन किया है। बहरहाल सरकार द्वारा इस मामले में विभाग को जांच कर 30/08/2021 तक जांच/कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका अभी तक कोई अता-पता नहीं है।

क्या है लेड-जिंक की रॉयल्टी राशि 1113.63 करोड़ का मामला?

एसडीआरआई द्वारा चाँदी की रॉयल्टी चोरी के संबंध में बनाए गए प्रकरण में दर्शाये गए समान तथ्यों के आधार पर ही लेड-जिंक की रॉयल्टी चोरी का मामला बनाकर गत माह को खान निदेशालय को भेजा गया। जिसमें कंपनी द्वारा 111.63 करोड़ की रॉयल्टी चोरी का मामला बनाया गया है। इस मामले में भी विभाग को जांच कर 30/08/2021 तक जांच/कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

एसडीआरआई द्वारा उजागर की गयी हिंदुस्तान जिंक लि. की 3613.63 करोड़ की रॉयल्टी चोरी के मामले में त्वरित वसूली एवं विभिन्न विभागों की संयुक्त जांच कमिटी बनाकर हिंदुस्तान जिंक लि. द्वारा की जा रही अन्य अनियमितताओं की जांच करवाने हेतु मुख्यमंत्री,मंत्री सहित केंद्रीय और राज्य सरकार के डेढ़ दर्जन आला अधिकारियों को लिख चुके है पत्र,लेकिन कार्यवाही के नाम पर चल रही खानापूर्ति

समाचार पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्राप्त खबरों एवं अन्य सूत्रों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर हमारे द्वारा इस मामले के संबंध में मुख्यमंत्री सहित संबन्धित विभागों के केंद्रीय और राज्य सरकार के डेढ़ दर्जन अधिकारियों को इस मामले में कार्यवाही हेतु करीब 3 महीने पहले पत्र लिखे गए थे। इस क्रम में इस संबंध में संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 082105510708373 के क्रम में निदेशक महोदय(Admin) खान एवं भूविज्ञान विभाग,द्वारा दिनांक 24/09/2021 को जवाब दिया गया कि:-



“प्रकरण में अतिरिक्त निदेशक खान(सतर्कता-मुख्यालय),निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि SDRI से उक्त प्रकरण जांच हेतु प्राप्त होने पर,खनिज सिल्वर के 2500 करोड़ की रॉयल्टी अपवंचन के प्रकरण में कंपनी को नोटिस दिये गए।कंपनी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में चाँदी के उत्पादन के साथ,आयातित खनिज से भी चाँदी उत्पादन बताया गया।कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर व SDRI की रिपोर्ट के आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण संबन्धित एसेसिंग अथॉरिटी खनिज अभियंता भीलवाडा/अजमेर/राजसमंद-2/उदयपुर को प्रेषित किया जाकर,उनके कार्यालयों में प्रस्तुत आंकड़ों का मिलान भारतीय खान ब्यूरो को कंपनी द्वारा प्रस्तुत मासिक/वार्षिक आंकड़ों से कर,जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर,की गयी जांच/कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करने बाबत निर्देशित किया गया है।साथ ही खनिज लेड-जिंक के 1113.63 करोड़ की संभावित रॉयल्टी अपवंचन के प्रकरण में संबन्धित एसेसिंग अथॉरिटी खनिज अभियंता भीलवाडा/अजमेर/राजसमंद-2/उदयपुर को निर्देशित किया गया है तथा संबन्धित अतिरिक्त निदेशक खान उदयपुर को प्रकरण में मॉनिटरिंग कर उक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।परिवाद में जांच कमिटी बनाए जाने बाबत अंकित किया गया है।निदेशालय के आदेश दिनांक 03/02/2020 से गठित कमिटी द्वारा खनन पट्टों की जांच की जा रही है।उक्त कमिटी को SDRI से प्राप्त PIR बाबत तथ्य उपलब्ध करा दिये गए हैं एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।अतिरिक्त निदेशक खान(सतर्कता-मुख्यालय)के प्रत्युत्तर की प्रति संलग्न है।”

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि खान विभाग द्वारा इस मामले में चार जिलों के खनिज अभियन्ताओं को कार्यवाही करने और संबन्धित अतिरिक्त निदेशक,उदयपुर को इस प्रकरण में मॉनिटरिंग और कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का जिम्मा दिया गया है।खुद निदेशालय इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है लेकिन इसके बावजूद खान विभाग इस कंपनी से अब तक इस प्रकरण में एक चवन्नी तक वसूल नहीं कर पाया है।

यू.ओ. नोट

विषय:- संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद क्रमांक 082105510708373 के संबंध में।


पराग:- आपके यूओ नोट क्रमांक 322 दिनांक 31.08.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा उक्त प्रासंगिक यूओ नोट से श्री ज्ञानेश कुमार के परिवाद क्रमांक 082105510708373 जो कि एसडीआरआई द्वारा उजागर की गई हिंदुस्तान जिंक लि. की 3613.63 करोड़ की संभावित रॉयल्टी अपवंचना के संबंध में है, की प्रति सलग्न भिजवाई जाकर प्रत्युत्तर उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था जिसके क्रम में लेख है कि एसडीआरआई से उक्त प्रकरण आवश्यक जांच/कार्यवाही हेतु इस अनुगाग को प्राप्त हुआ। जिसके क्रम में खनिज सिल्वर के 2500 करोड़ के रॉयल्टी अपवंचन के प्रकरण में कंपनी को नोटिस दिये। कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उन्होंने चादी उत्पादन के साथ आयात खनिज से भी चादी उत्पादन होना बताया गया। कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर व एसडीआरआई से प्राप्त रिपोर्ट के आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण संबंधित एससिंग ऑथोरिटी खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा/अजमेर/ राजसमंद-II/उदयपुर को प्रेषित कर उनके कार्यालयों में प्रस्तुत आंकड़ों का मिलान भारतीय खान ब्यूरो से कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों(मासिक/वार्षिक) की प्रति मंगवाकर मिलान कर जांच कर, नियमानुसार कार्यवाही कर की गई जांच/कार्यवाही से दिनांक 30.08.2021 तक निदेशालय को अवगत कराने हेतु तथा खनिज लेड-जिंक के 1113.63 करोड़ की संभावित रॉयल्टी अपवंचन के प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 23.07.2021 से संबंधित एससिंग ऑथोरिटी खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा/अजमेर/ राजसमंद-II/उदयपुर को निर्देशित किया गया है तथा संबंधित अतिरिक्त निदेशक खान, उदयपुर-जोन को प्रकरण में मोनेटरिंग कर उक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जहां तक परिवाद में जांच हेतु कमेटी बनाये जाने बाबत अफिक्त किया गया है, निदेशालय के आदेश दिनांक 03.02.2020(प्रति सलग्न) से गठित कमेटी द्वारा खननपट्टों की जांच की जा रही है एवं उक्त कमेटी को एसडीआरआई से प्राप्त पीआईआर बाबत तथ्य उपलब्ध करा दिये गये है व नियमानुसार कार्यवाही कराई जा रही है।

भवदीय,


(एन.के. कोठारी)

अतिरिक्त निदेशक खान (सत0मु0)

क्रमांक:- निदे/सत/एस.डी.आर.आई./प.152/2021/287

दिनांक - 15/9/21

नोडल अधिकारी(संपर्क पोर्टल),
के. का. उदयपुर।

इस प्रकरण मे खान विभाग द्वारा दिया गया जवाब।

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
कार्यालय आदेश

क्रमांक / निखामू/प्रधान/सीसी-1/ई रवन्ना/2018-19/248 दिनांक - 03 02 2020

अधीक्षण खनि अभियन्ता, अजमेर द्वारा पत्र दिनांक 17.01.2020 से मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के कागड (अजमेर) स्थित खनन पट्टे में निर्गमित खनिज के सम्बन्ध में खनिज के रोम्पलस का भारतीय खान ब्यूरो की प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण कराने पर मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा विभाग को रॉयल्टी निर्धारण हेतु प्रस्तुत ऑफडो के अनुसार रॉयल्टी अपवचना होना अवगत करवाया गया है एवं उक्त कम्पनी के अन्य जिलों में भी खनन पट्टे होने के कारण एक जॉच शक्ति मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित किया है। इसी प्रकार खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा द्वारा उक्त खनन पट्टे के सम्बन्ध में रॉयल्टी अपवचना हुई जिनका दिनांक 31.01.2020 से नोटिस जारी किया गया है।

अतः मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के उदयपुर, राजसमन्द एवं भीलवाड़ा में स्थित खनन पट्टों में कम्पनी द्वारा विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे रॉयल्टी निर्धारण के ऑफडो की कॉस चेकिंग करने तथा कम्पनी द्वारा पूर्व में यदि रॉयल्टी कम अदा की गई हो तो उसकी वसूली हेतु सुझाव एवं भविष्य में विभाग को किसी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हो इसके लिये रॉयल्टी निर्धारण किये जाने हेतु अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. वित्तीय सलाहकार, के.का., उदयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक खान, उदयपुर जोन, उदयपुर
3. अधीक्षण भूवैज्ञानिक, उदयपुर
4. वरिष्ठ रसायनज्ञ, के.का., उदयपुर

उपरोक्त कमेटी एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी।

उक्त आदेश निदेशक महोदय द्वारा पत्रावली क्रं पेरा 50/एन पर दिए गये आदेशों के अनुसरण में जारी।

(एन.के. कोठारी)
अतिरिक्त निदेशक खान (मु)

क्रमांक / निखामू/प्रधान/सीसी-1/ई रवन्ना/2018-19/249 दिनांक - 03 02 2020
-252

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. वित्तीय सलाहकार, के.का., उदयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक खान, उदयपुर जोन, उदयपुर
3. अधीक्षण भूवैज्ञानिक, उदयपुर
4. वरिष्ठ रसायनज्ञ, के.का., उदयपुर

(एन.के. कोठारी)
अतिरिक्त निदेशक खान (मु)

इस प्रकरण में खान विभाग द्वारा कमेटी गठन के दिये गए आदेश

रॉयल्टी वसूली के लिए गठित कमिटी कर रही जांच के नाम पर कंपनी के प्लांट की इंडस्ट्रियल विजिट!!!

आपको बता दें कि निदेशालय खान विभाग द्वारा दिनांक 03/02/2021 को एक कार्यालय आदेश जारी कर मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लि. के उदयपुर, राजसमंद एवं भीलवाडा में स्थित खनन पट्टों में कंपनी द्वारा विभाग को प्रस्तुत किए जा रहे रॉयल्टी निर्धारण के आंकड़ों की क्रॉस चेकिंग करने तथा कंपनी द्वारा पूर्व में यदि रॉयल्टी कम अदा की गयी हो तो उसकी वसूली हेतु सुझाव एवं भविष्य में विभाग को किसी प्रकार का राजस्व हानि नहीं हो, इसके लिए रॉयल्टी निर्धारण किए जाने हेतु अपनायी जाने वाली मानक प्रक्रिया तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु एक कमिटी का गठन किया गया। इस कमिटी में (1) वित्तीय सलाहकार, के.का., उदयपुर (2) अतिरिक्त निदेशक खान, उदयपुर ज़ोन, उदयपुर (3) अधीक्षण भू-वैज्ञानिक उदयपुर (4) वरिष्ठ रसायनज्ञ के.का., उदयपुर को नियुक्त कर एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए।

परंतु आपको आश्चर्य होगा कि इस आदेश के जारी होने के लगभग डेढ़ साल बाद चालू वर्ष के सितंबर माह में इस कमिटी द्वारा इस निरीक्षण को करने की जहमत उठाई, सबसे बड़ी बात यह है कंपनी की खातेदारी ने इस महत्वपूर्ण निरीक्षण को भी मात्र इंडस्ट्रियल विजिट बना कर रख दिया। निरीक्षण गठित कमिटी द्वारा खनन पट्टा संख्या 7/1995 सिंदेसर खुर्द, रेलमगरा, राजसमंद और खनन पट्टा संख्या 166/2008 ग्राम राजपुरा, रेलमगरा, राजसमंद का निरीक्षण कर धातु जिंक, लेड एवं सिल्वर के निष्कर्षण के बारे में जानकारी ली।

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े रॉयल्टी चोरी के मामले में खान विभाग ऐसी ढिलाई क्यों बरत रहा है? जबकि राज्य पहले से ही कोरोना के संकट के चलते वित्तीय संकट से जूझ रहा है।

खान विभाग की कमिटी ने किया हिन्दुस्तान जिंक का निरीक्षण

स्वीकृत खनन पट्टों के रॉयल्टी भुगतान के संबंध में ली जानकारी

उदयपुर। खान विभाग की कमिटी द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के रॉयल्टी भुगतान के संबंध में गहन निरीक्षण किया गया। उदयपुर ज़ोन के अतिरिक्त निदेशक (खान) की अध्यक्षता में वित्तीय सलाहकार, अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) मुख्यालय, वरिष्ठ रसायनज्ञ की गठित कमिटी द्वारा खनन पट्टा संख्या 7/1995 वास्ते खनिज केडमियम, लेड, सिल्वर व जिंक निकट-ग्राम सिन्देसर खुर्द, रेलमगरा, राजसमंद एवं खनन पट्टा संख्या 166/2008 वास्ते खनिज केडमियम, लेड, सिल्वर व जिंक निकट ग्राम राजपुरा, रेलमगरा, राजसमंद जो कि मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत है, का निरीक्षण कर धातु जिंक, लेड एवं सिल्वर के निष्कर्षण के बारे में जानकारी ली।

कमिटी ने देखी सम्पूर्ण प्रक्रिया-कम्पनी द्वारा रॉम को तीन स्टेज में 150एमएम से 20एमएम तक क्रश किया जाता है। फिर बॉल मिल एवं रॉड मिल में



इस खनिज को 75 माईक्रोन तक ग्राइण्ड किया जाता है। स्क्रीन फ्लो सिस्टम पर एक्सरे विश्लेषण द्वारा रिकॉर्डिंग अयस्क ग्रेड की निगरानी और प्रयोगशाला परीक्षण के नमूने एकत्रित किये जाते हैं। तत्पश्चात् फ्रॉथ फ्लोटेशन के द्वारा बेनिफिसियेशन और सेप्रेसन के माध्यम स्पेलेराइट एवं गेलेना को अलग किया जाता है। कम्पनी द्वारा स्थापित एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ऑर कन्सन्ट्रेट को स्मेल्टर में भेजा जाता है। तत्समय खनिज वाहन कार्मिक विहिन स्वचालित वे-ब्रिज पर खनिज वजन व ई-रवना जारी होती है। उस समय भी खनिज सेम्पल लिये जाते हैं, जो प्रयोगशाला में प्रेषित किये जाते हैं। प्रयोगशाला में नमूनों

की जांच प्रक्रिया, रेकॉर्ड संधारण तथा नमूनों के संरक्षण प्रबंधन आदि की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी की गई। इस खनिज के कन्स्ट्रेंटिंग स्मेल्टिंग के लिए शिवपुर प्रेषित किया जाता है जहां पर विभिन्न कंसंट्रेट को सम्मिश्रण किया जाता है, सान्द्रण का ऑक्सीकरण किया जाता है, इस प्रक्रिया से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है तथा इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा जस्ता और सीसा धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इसके सम्पूर्ण परिष्करण प्रक्रिया में संधारित किये जाने वाले रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कमिटी द्वारा सम्पूर्ण निरीक्षण देय अधिशुल्क की अदायगी के सही आंकलन के लिये किया गया।

फैल्सपार के अवैध निर्गमन पर निरंतर कार्यवाही जारी

उदयपुर। खान विभाग की ओर से जिले में अवैध खनन एवं निर्गमन के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में खनि अभियन्ता चन्दन कुमार एवं उदयपुर टीम द्वारा अम्बेरी के पास 3 ट्रोले खनिज फैल्सपार के अवैध परिवहन करते हुये जब्त कर कार्यालय परिसर में खडे करवाये गये। वहीं 1 ट्रेक्टर खनिज क्वार्ट्ज का अवैध परिवहन करते हुये जब्त कर पुलिस चौकी भटेवर में खडा कराया गया तथा 1 ट्रोला खनिज फैल्सपार का अवैध परिवहन करते हुये ऋषभदेव टीम द्वारा जब्त किया गया, जिस पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। उदयपुर टीम के खनि कार्यदेशक महेश मीणा, धर्मपाल राणावत, लोकेन्द्र सुमन, तगाराम, आवेश माथुर एवं ऋषभदेव टीम के सहायक खनि अभियन्ता नरेंद्र एवं ओ.पी.मीणा द्वारा अवैध खनन/निर्गमन को रोकथाम हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, ताकि फैल्सपार व अन्य खनिज के अवैध निर्गमन पर पूर्णतया अंकुश लगाया जा सके।

कंपनी बता रही चाँदी उत्पादन के साथ आयातित खनिज से भी चाँदी उत्पादन।

खान विभाग द्वारा कंपनी को इस प्रकरण में दिये गए नोटिसों के जवाब में कंपनी द्वारा बताया गया है कि उसके द्वारा चाँदी उत्पादन के साथ साथ आयातित खनिज से भी चाँदी उत्पादन किया जाता है। यदि कंपनी का यह जवाब सही है तो कंपनी के इस दावे पर भी कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

जवाब मांगते सवाल?

1. खान विभाग द्वारा इस मामले में चार जिलों के खनिज अभियन्ताओं को कार्यवाही करने और संबन्धित अतिरिक्त निदेशक, उदयपुर को इस प्रकरण में मॉनिटरिंग और कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का जिम्मा दिया गया है। खुद निदेशालय इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है लेकिन इसके बावजूद खान विभाग इस कंपनी से अब तक इस प्रकरण में एक चक्की तक वसूल क्यूँ नहीं कर पाया है? जबकि राज्य पहले से ही कोरोना के संकट के चलते वित्तीय संकट से जूझ रहा है?
2. कंपनी द्वारा किन- किन देशों से, कितनी मात्रा में, किस रूप में, किस माध्यम से कुल खनिज आयात किया जाता है? इस आयातित खनिज से कितनी मात्रा में कहाँ पर चाँदी निकाली जाती है? कंपनी द्वारा यह प्रक्रिया कितने सालों से चलायी जा रही है?
3. क्या आयातित वस्तुओं पर नजर रखने वाली जांच एजेंसी यथा कस्टम विभाग को इस सम्पूर्ण मामले की जानकारी है?
4. विनिवेश से पूर्व जब हिंदुस्तान जिंक लि. सरकार के अधीन थी उस समय क्या जिंक अयस्क से चाँदी निकाली जा रही थी? उस समय जिंक अयस्क की स्लरी का स्टॉक कितना था और उसे कहाँ कहाँ डंप किया गया था?
5. क्या यह संभव है कि वेदांता ग्रुप द्वारा हिंदुस्तान जिंक लि. को टेकओवर करने से पहले संसाधनों के अभाव में जिस जिंक अयस्क के स्टॉक से चाँदी नहीं निकाली जा रही थी, उस पुराने डंप किए गए माल को प्रोसेसिंग कर, वर्तमान में चाँदी निकाली जा रही हो?
6. यदि एसडीआरआई की यह जांच रिपोर्ट सही है तो क्या यह रॉयल्टी चोरी के साथ साथ इन्कम टैक्स की चोरी का मामला नहीं बनता है, क्योंकि जिस चाँदी के उत्पादन को सार्वजनिक ही नहीं किया गया हो तो उसकी खपत कहाँ और कैसे बताई गयी होगी?
7. खान विभाग द्वारा गठित कमिटी द्वारा कंपनी के प्लांटों के निरीक्षण में क्या खामियाँ पायी गयीं? इस कमिटी द्वारा रॉयल्टी वसूली के क्या सुझाव दिये गए?
8. इस रॉयल्टी चोरी के प्रकरण में संबन्धित एसेसिंग अथॉरिटी खनिज अभियंता भीलवाड़ा/अजमेर/राजसमंद-2/उदयपुर द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?
9. आखिर क्यूँ इस मामले की जांच खान विभाग के उन्ही अधिकारियों द्वारा करवाई जा रही है जिनके संरक्षण में कंपनी कई सालों से रॉयल्टी की चोरी कर रही है? क्या इस मामले की CAG जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से नहीं करवानी चाहिए?
10. आखिर क्यूँ विभाग में लाखों रूपयों की मासिक तंख्वाह उठाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जा रही?